# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अवि गर्ग आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 254 / 2019

1. मुकेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति अग्रवाल साकिन पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– वादी

–:: बनाम ::–

1. अशोक कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति अग्रवाल साकिन पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

– – प्रतिवादी

## दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हरजिन्द्र रमाणा अधिवक्ता ––वादीगण
2. श्री दारासिंह हुंदल अधिवक्ता –– प्रतिवादीगण

## –:: निर्णय ::–

दिनांक :– 08.08.2019

वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 49, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी एवं प्रतिवादी का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार सहिंता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है।

वादी हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है।

1. वादी के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीवंगा के चक नं. 13 पीबीएन के खाता सं. 54 के प.नं. 32 / 310 की कुल 2.783 है. नहरी मे से वादी की 0.656 हैक. नहरी कृषि भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 दर्ज राजस्व अभिलेख है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है ।
2. प्रतिवादी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 3 पीबीएन के खाता सं. 8 के प.नं. 59 / 326 के किला नं. 21 / 2, 22 / 2, 23, 24, 25 / 1 की कुल 1.037 है. कमाण्ड कृषि भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 दर्ज राजस्व अभिलेख है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।
3. यह कि वाद पत्र की दफा 3–4 मे वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित रकबा पूर्व में वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पिता श्री कृष्णलाल पुत्र कुन्दनलाल के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख था । पिता श्री कृष्णलाल ने अपने जीवनकाल में प्रश्नगत रकबा की वसीयत वादी व प्रतिवादी सं. 1 के हक में की । पिता श्री कृष्णलाल के देहान्त के पश्चात प्रश्नगत रकबा का इन्द्राज राजस्व अभिलेख मे मुताबिक वसीयत वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुआ ।
4. प्रश्नगत रकबा का वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य काश्त की सहुलियत के हिसाब से कृषि भूमि का आपसी तबादला किया गया जिसमे वादी को प्रतिवादी सं. 1 के नाम वाद पत्र की दफा 4 में वर्णित 1.037 है. रकबा तथा प्रतिवादी सं. 1 को वादी के नाम वर्णित वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित 0.656 हैक. कृषि भूमि प्राप्त हुई और घरू तबादला के समय से ही वादी व प्रतिवादी सं. 1 काबिज काश्त हुये । तबादला शुदा भूमि कम ज्यादा है लेकिन तबादला शुदा भूमि की बाजार किमतन एक सामान है लेकिन वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रश्नगत रकबा मुताबिक घरू तबादला दर्ज नही होने से वादी की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है इसलिए वादी वाद पत्र

लगातार-2

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलैक्टर पीलीबंगा

Scanned by CamScanner

की दफा 4 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित 1.037 हैक. कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने एवं आपसी विनिमय करवाने का अधिकारी है ।

5. वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से कई दफा कहा कि वे प्रश्नगत कृषि भूमि का हुये घरू तबादला अनुसार एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवे तो कुछ दिन तो प्रतिवादी सं.1 टालमटोल करते रहे, परन्तु आज से 5 दिवस पूर्व प्रतिवादी सं. 1 ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया बस यही वाद कारण है ।

6. प्रतिवादी सं. 2 भूधारक है इसलिये उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है ।

वाद पत्र उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है तथा वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है ।

अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :

(क). कि घोषित किया जावे कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 3 पीबीएन के खाता सं. 8 के प.नं. 59/326 के किला नं. 22/2, 22/2, 23, 24, 25/1 की कुल 1.037 हैक. कमाण्ड कृषि भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है जिसमे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे ।।

(ख). मुताबिक अनुतोष "क" वादी की भूमि का आपसी विनिमय किया जावे ।। ग. कि खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग). अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलाया जावे

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादी के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 08.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादी की पहचान श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री दारासिंह हुन्दल अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उपरोक्त अनवान सदर के प्रकरण में दोनों पक्ष एक ही परिवार के सदस्यगण है दोनो पक्षों द्वारा पूर्व में किये गये पारिवारिक समझौते अनुसार व परिवार के प्रमुख रिश्तेदारों के प्रोत्साहन से परस्पर मुकदमेबाजी नहीं होनें देने के लिये स्वेच्छा पूर्ण राजीनामा कर लिया है, जो निम्न प्रकार से है :–

1. प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 3 पीबीएन के खाता सं. 8 के प.नं. 59/326 के किला नं. 21/2, 22/2, 23, 24, 25/1 की कुल 1.037 है. कमाण्ड कृषि भूमि वादी को प्राप्त हुई जिसमे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा चक नं. 13 पीबीएन के खाता सं. 54 के प.न. 32/310 की कुल 2.783 है. नहरी मे से वादी की 0.656 हैक, नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुई जिसमें से वादी का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जावे ।

वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो पक्षकारान को कोई उजर एतराज नही होगा । राजीनामा पक्षकारान ने अपनी पूर्ण होश हवास बिना किसी नशा पता के बिना किसी दबाव व बहकाव के लिखवा दिया हैं।

लगातार ..... 3

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलैक्टर पीलीबंगा

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष द्वारा राजीनामा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वादपत्र में वर्णित भूमि का अन्य किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है, भूमि पैतृक है, राजीनामा के अनुसार हम पक्षकारान मौके पर कब्जा काश्त है। भूमि से सम्बंधित समस्त पक्षकारान को पक्षकार बनाया गया है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होनें पर किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनो को दोहराते हुए वाद का निर्णय कर डिक्री जारी करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है। जो जद्दी जायदाद होनें के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

## –:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49, 88 के अन्तर्गत आदेश दिया जाता है कि :– चक 3 पी.बी.एन. में खाता संख्या 8 के पत्थर नम्बर 59/326 किला नम्बर 21/2, 22/2, 23, 24, 25/1 की 1.037 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक 13 पी.बी.एन. में खाता संख्या 54 के पत्थर नम्बर 32/310 की कुल 2.783 हैक्टर भूमि में वादी के हिस्से की 0.656 हैक्टर भूमि में से वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर

लगातार ........... 4

Scanned by CamScanner

आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के सम्बंध में निम्न बिन्दुओं की पूर्ण जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे :–

1. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बध में वर्तमान में किसी अन्य न्यायालय में कोई वाद/स्थगन तो विचाराधीन नहीं है।
2. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार का कोई बकाया ना हो भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त हो।
3. वाद पत्र में वर्णित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16, विशेष आवंटन/सीलिग अधिनियम से प्रभावित न हो।
4. वाद में वर्णित भूमि गैर खातेदार/रकबा राज ना हो
5. वाद पत्र में वर्णित भूमि पर उभयपक्ष के कब्जा सम्बंधी पूर्ण जांच करें।
6. वाद पत्र में वर्णित भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 08.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा